न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील: 02/2020
दायर दिनांक: 22.01.2020
निर्णय दिनांक 22.03.2021

—:अनवान:—

श्री छगनलाल गूर्जर पिता मोडा जाति गूर्जर आयु 60 वर्ष पेशा खेती निवासी गच्छालो का गुडा, सुन्दरचा, तहसील व जिला राजसमन्द ———**अपीलांट**

—:बनाम:—

तहसीलदार, राजसमन्द जरिये राज्य सरकार

———**रेस्पोडेण्ट**

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार, राजसमन्द सीमा जानकारी आदेश दिनांक 10.12.2019

उपस्थित :—

1— श्री अतुल पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

अपीलार्थी के कब्जे वाली भूमि जिसके खसरा संख्या 18 रकबा 10.04 बीघा भूमि राजस्व ग्राम गच्छालो का गुडा, पटवार हल्का सुन्दरचा में स्थित हैं। राजस्व ग्राम डिप्टी खेडा के लोगो ने मांग की कि उक्त भूमि की सीमा जानकारी की जाय। उक्त खसरा संख्या की सीमा जानकारी अपीलान्ट के बिना जानकारी के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.06.2019 से दिनांक 13.06.2019 को सीमा जानकारी की गयी। अपीलांट को इसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.12.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट की उपस्थिति में सीमा जानकारी एवं पर्चा मौका नजरी नक्शे सहित बनाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.2019 के चलते दिनांक 23.12.2019 को सीमा जानकारी एवं मौका पर्चा बनाया गया। अपीलान्ट को न तो इस बाबत लिखित में कोई सूचना दी गयी, न ही मौखिक सूचना दी गयी व बाले—बाले पुनः सीमा जानकारी कराई गई, जबकि सबसे प्रभावित अपीलांट हैं। जिसका उक्त खसरा संख्या पर वर्षो से कब्जा, आधिपत्य है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से जो सीमा जानकारी कराई गई, वह विधिसम्मत नही हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के कब्जे वाले 4 बीघा की व पुरे रकबे की सीमा जानकारी मय मौका पर्चा, नजरी नक्शा मुस्तकील बिन्दु सहित बनाई जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई व रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि अपीलान्ट के बिना जानकारी के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.06.2019 से दिनांक 13.06.2019 को सीमा

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

जानकारी की गयी। अपीलांट को इसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.12.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट की उपस्थिति में सीमा जानकारी एवं पर्चा मौका नजरी नक्शे सहित बनाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.2019 के चलते दिनांक 23.12.2019 को सीमा जानकारी एवं मौका पर्चा बनाया गया। अपीलान्ट को न तो इस बाबत लिखित में कोई सूचना दी गयी, न ही मौखिक सूचना दी गयी व बाले–बाले पुनः सीमा जानकारी कराई गई, जबकि सबसे प्रभावित अपीलांट हैं। जिसका उक्त खसरा संख्या पर वर्षो से कब्जा, आधिपत्य है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से जो सीमा जानकारी कराई गई, वह विधिसम्मत नही हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के कब्जे वाले 4 बीघा की व पुरे रकबे की सीमा जानकारी मय मौका पर्चा, नजरी नक्शा मुस्तकील बिन्दु सहित बनाई जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द के पटवार हल्का सुन्दरचा की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 23.12.2019 में बताया कि प्रार्थीगण सूचना के बावजूद मौके पर अनुपस्थित रहें। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम ग्राम गच्छालो का गुडा, पटवार हल्का सुन्दरचा तहसील राजसमन्द के खसरा संख्या 18 रकबा 10.04 बीघा भूमि की दिनांक 13.06.2019 व दिनांक 23.12.2019 को सीमा जानकारी एवं मौका पर्चा बनाया गया। जो कि अपीलार्थी की अनुपस्थित में हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी के बहस कथन के अनुसार अपीलार्थी की उपस्थिति में एकबार पुनः सीमा जानकारी एवं मौका पर्चा बनाया जाए। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द के द्वारा सीमा जानकारी आदेश दिनांक 10.12.2019 को खारिज किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार राजसमन्द को प्रतिप्रेषित (REMAND) कर निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलांट को नोटिस देते हुए, उसकी उपस्थिति में नियमानुसार सीमा जानकारी करावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द